रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L .- 33002/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] No. 104] दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2011/ज्येष्ठ 27, 1933

DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2011/JYAISTHA 27, 1933

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 71

[N.C.T.D. No. 71

भाग--।٧

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जून, 2011

फा. सं. 81/ए/35/एडी-III/स.कल्या.वि./2005/3958-3966.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. यू-11030/96-यूटीएल के साथ पठित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा, राज्य समन्वय समिति का गठन करने के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उन्हें सौंपा कार्य, के तहत उपरोक्त अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नामजद सदस्यों के लिए तीन साल की अवधि के लिए सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

राज्य समन्वय समिति

- माननीय मंत्री, समाज कल्याण, —अध्यक्ष, पदेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- श्री माला राम गंगवाल, विधायक, —-सदस्य ए-1बी/24-सी, एलआईजी फ्लैट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली [पीडब्ल्युडी अधिनियम की धारा 13(2)(छ) के अधीन]

- श्री कुलवन्त राणा, विधायक, —सदस्य
 म. नं. 7, मैन बवाना रोड,
 (दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ)
 गांव एवं पोस्ट ऑफिस शाहबाद दौलतपुर, दिल्ली
 [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की उप-धारा (2)(छ) के अधीन]
- श्री नन्द किशोर, विधायक, सदस्य
 म. नं. 213, गांव बापरौला,
 पो.ऑ. नजफगढ़, दिल्ली-43
 [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की उप-धारा 13(2)(छ) के अधीन]
- प्रधान सचिव, सदस्य शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- 6. प्रधान सचिव, सदस् वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- 7. प्रधान सचिव, सदस्य स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- 8. विकास आयुक्त, —सदस्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सदस्य

 सचिव, उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

- 10. सचिव. -सदस्य प्रशिक्षण-यूटीसीएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 11. सचिव. -सदस्य शहरी विकास विभाग. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 12. सचिव. -सदस्य रोजगार. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 13. प्रबंध निदेशक, -सदस्य दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.. एन-ब्लॉक, बाम्बे लाइफ बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली 14. सुश्री सीमा तुली, प्रधानाचार्य, -सदस्य अमर ज्योति स्कूल, कडकडड्मा, दिल्ली [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] 15. डॉ. ओमकार शर्मा, महासचिव, –सदस्य ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द डीफ. 18-नॉर्थेण्ड कॉम्पलेक्स, आर के पुरम मार्ग, नई दिल्ली [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] 16. सश्री निहारिका निगम, निदेशक, -सदस्य दिल्ली सोसाइटी फॉर द वेलफेयर मेन्टली रिटार्टेड चिल्ड्रेन, ओखला सेन्टर, ओखला मर्गा, नई दिल्ली [पीडब्ल्युडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] 17. श्री दिलीप कुमार, प्रोजेक्ट निदेशक, ---सदस्य मदर होम, खसरा नं.-22, जीटीके रोड्, लिबासपुर, दिल्ली-42 [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] 18. महसचिव, सदस्य नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड. -सदस्य आर के परम. सैक्टर-5, नई दिल्ली [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(च) के अधीन] 19. प्रतिनिधि. —सदस्य भारतीय उद्योग परिसंघ दिल्ली, सी-Ⅱ, दिल्ली स्टेट ऑफिस, प्लाट नं. 249-एफ, सैक्टर-18, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड्गांव [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(ज) के अधीन] 20. श्री नवनीत सेठी, एसोसिएट प्रोफेसर, -सदस्य सेन्टर फॉर इंगलिश स्टडीज, स्कूल ऑफ लेंग्लेबेस, लिटरेचर एण्ड कल्चर स्टडीज, जवाहर लाल नेहरू खूनिकॉर्सटी, नई दिल्ली [पीडब्ल्युडी अधिनिषम की धारा 13(2)(ज) के अधीत] 21. अध्यक्ष, -सदस्य दिल्ली एग्रीकल्बरल मार्केटिंग बोर्ड, 9, इंस्टीट्युशनल एस्पि, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-58
- 22. प्रधान सचिव, —स लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली [पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 13(2)(घ) के अधीन]
- 23. आयुक्त (डिसेब्लिटी) सदस्य नि:शक्त व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
- 24. प्रधान सचिव, —सदस्य सचिव समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 17th June, 2011

F. No. 81/A/35/AD-HI/DSW/2005/3958-3966.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11030/96-UTL; dated 5th December, 1997, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes the State Co-ordination Committee, to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to them, under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, with effect from the date of its publication in the Official Gazette for a period of three years for nominated members.

STATE CO-ORDINATION COMMITTEE 1. Hon'ble Minister, Social Welfare, -Chairperson, Govt, of NCT of Delhi ex-officio 2. Sh. Mala Ram Gangwal, M.L.A., ---Member A-1B/24-C, LIG Flats, Paschim Vihar, New Delhi (U/s. 13(2)(g) of PWD Act) 3. Sh Kulwant Rana, M.L.A. -Member H. No. 7, Main Bawana Road (Opp. Delhi Engineering College) Village & PO. Shahabad Daulatpur, Delhi (U/s. 13(2)(g) of PWD Act)Sh. Nand Kishore, M.L.A., --Member H. No. 213, Village Baprola, PO. Najafgarh, Delhi-43 (U/s. 13(2)(g) of PWD Act) 5. Pr. Secretary, Deptt. of Education, -Member Govt. of NCT of Delhi 6. Pr. Secretary, Deptt. of Finance -Member Govt. of NCT of Delhi

New Delhi-58

Delhi Agricultural Marketing Board,

9, Instt. Area, Pankha Road, Janakpuri,

7.	Pr. Secretary, Deptt of Health, Govt. of NCT of Delhi	Member
8.	Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi	—Member
9.	Secretary, Deptt of Industries, Govt of NCT of Delhi	-Member
10.	Secretary (Training-UTCS), Govt. of NCT of Delhi	—Member
11.	Secretary, Deptt of Urban Development, Govt. of NCT of Delhi	—Member
12.	Secretary (Employment), Govt. of NCT of Delhi	—Member
13.	Managing Director, Delhi State Industrial Development Corporation Ltd., N-Block, Bombay Life Building, Con Circus, New De	
14.	Ms. Seema Tuli, Principal, Amar Jyoti School, Karkardooma, Delhi (U/s 13(2)(f) of PWD Act)	-Member
15.	Dr. Omkar Sharma, Gen. Secretary, All India Federation of the Deaf, 18-Northend Complex, RKPuram, Marg, New Delhi (U/s 13(2)(f) of PWD Act)	—Member
16	Ms. Niharika Nigam, Director, Delhi Society for the Welfare Mentally Retarded Children, Okhla Centre, Okhla Marg, New Delhi (U/s 13(2)(f) of PWD Act)	—Member
17.	Mr. Dilip Kumar, Project Director, Mother Home, Khasra no22, G. T. K. Road, Libaspur, Delhi-42 (U/s 13(2)(f) of PWD Act)	—Member
18	. General Secretary, National Association of Blind, RKPuram, Sec5, New Delhi (U/s 13(2)(f) of PWD Act)	Member
19	Representative, Confederation of Indian Industry, Delhi CII, Delhi State Office, Plot No. 249 f, Sec-18 Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon (U/s 13(2)(h) of PWD Act)	—Member
20	Ms. Navneet Sethi, Associate Professor, Centre for English Studies, School of Languages, Literature and Culture Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi (U/s 13(2)(h) of PWDAct)	
21	. Chairman,	—Member

- 22. Pr. Secretary, Public Works -Member Department, Govt of NCT of Delhi (U/s 13(2)(d) of PWD Act)
- Commissioner (Disability), -Member For Persons with Disabilities, Govt. of NCT of Delhi
- 24. Pr. Secretary, -Member Social Welfare/WCD, Govt. of NCT of Delhi —Secretary

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

B. V. SELVARAJ, Prl. Secy.

राजस्य विभाग

अधिसुचना

दिल्ली, 17 जून, 2011

सं. फा. 7/13/रा.स्था./स.र./जी.ए./97/पार्ट फाईल/ .801,—सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 106 दिनांक 29-3-2011 के सन्दर्भ में श्री रघुविन्द्र सिंह रुहिल, ग्रेड-1 (दास) ने दिनांक 7-4-2011 (पूर्वाह्न) को तहसीलदार (नजफगढ़), जिला दक्षिण-पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है । अत :-

सं. 7/13/रा,स्था,/स.र./97(i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं. 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री रघुविन्द्र सिंह रुहिल, ग्रेड-I (दास) को जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

सं. ७/१३/रा,स्था./स.र./९७(ii),—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रघुविन्द्र सिंह रुहिल, ग्रेड-[(दास) को जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैंक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं ।

सं. 7/13/रा,स्था,/स,र,/97(iii),—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पूर्वी पंजाब होल्डिंग अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम सं. 50) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रघुविन्द्र सिंह रुहिल, ग्रेड-I (दास) को जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां क अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं. 7/13/रा,स्था,/स.र./97(iv),—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 की अधिनियम सं. 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री रघुविन्द्र सिंह रुहिल, ग्रेड-I (दास) को जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान करते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> > कुलदीप सिंह गंगर, अतिरिक्त सचिव

REVENUE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 17th June, 2011

F. No. 7(13)/Rev. Estt/S.R./GA/97/P.File/801.—In pursuance of Services Department's order No. 106 dated 29-3-2011, Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Grade-I (DASS) has joined as Tehsildar (Najafgarh), District South-West on 7-4-2011 (F/N). Now, therefore,

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(i).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory, so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(ii).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in

the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt./S.R./97(iii).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar as Consolidation Officer in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, till such time as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

No. 7(13)/Rev. Estt/S.R/97(iv).—In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Raghuvinder Singh Ruhil, Tehsildar, the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said Territory so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.